यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा के माह 12.2017 से 09.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा श्री एस.के. जौहरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 04.10.2018 से 12.10.2018 तक सम्पादित की गयी।

## भाग-I

**1). परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पवन कुमार, व. लेखापरीक्षक एवं श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2017 से 21.12.2017 एवं 08.01.2018 से 17.01.2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10.2016 से 11.2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

**2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा अल्मोड़ा प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि से वांछित निर्माण कार्य कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि से ग्रामीण सड़के बनाए जाने का भी कार्य किया जाता है।

**ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

| वित्तीय वर्ष | स्थापना | | | गैर- स्थापना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन धनराशि | व्यय धनराशि | बचत | प्रारम्भिक अवशेष | वर्ष के दौरान प्राप्ति | कुल प्राप्ति | व्यय | अवशेष |
| 2015-16 | 183.40 | 174.84 | 8.56 | 825.46 | 2252.71 | 3078.17 | 1649.43 | 1428.74 |
| 2016-17 | 190.50 | 190.50 | 0.00 | 1428.74 | 995.20 | 2423.94 | 1283.50 | 1140.44 |
| 2017-18 | 227.38 | 225.49 | 1.89 | 1140.44 | 1246.28 | 2386.72 | 876.49 | 1510.23 |
| 2018-19 (till 09.2018) | 189.35 | 125.21 | 64.14 | 1510.23 | 249.05 | 1759.28 | 655.69 | 1103.59 |

**(ब).** **Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:**

**(रु लाख में)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| वर्ष | | | |
| प्रारम्भिक शेष | | | |
| वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया | लागू नही | लागू नही | लागू नही |
| व्यय | | | |
| अंतिम शेष | | | |

**(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

**(रु लाख में)**

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष | | |
| प्रारम्भिक अवशेष | | |
| वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | --- | |
| | --- | -------------------शून्य-------------------- |
| | --- | |
| कुल प्राप्तियाँ | | |
| वर्ष के दौरान कुल व्यय | | |
| अंतिम अवशेष | | |

**iii).** विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई ‘A’ श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

**<u>तकनीकी संवर्ग:</u>**

1. मुख्य अभियंता (स्तर - 1)
2. मुख्य अभियंता (स्तर- 2)
3. अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार)
4. अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार)
5. सहायक अभियन्ता
6. कनिष्ठ अभियन्ता

**<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u>**

1. वित्त नियंत्रक
2. खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी
3. प्रशसनिक अधिकारी
4. प्रधान सहायक
5. कनिष्ठ सहायक

**iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** वर्तमान लेखापरीक्षा 12.2017 से 09.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

**v).** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर -1- रु. 769.45 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना ।**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि बिभिन्न ग्राहक विभागो द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदाई संस्था के रूप मे विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागो द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 18 माह से लेकर 140 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि मे भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य मे न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । उल्लेखनीय है कि इन कार्यों मे से काफी कार्ये अनारम्भ स्थिति मे थे । इन निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 13 विभागो के 60 निर्माण कार्यों (संलग्नक -1) की रु.769.45 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 11.5 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के कारण कार्यों को पूर्ण करने मे विलंब होता है,साथ ही भूमि विवाद के मामले भी कार्यों की प्रगति को धीमा करते हैं, कार्यों को शीघ्र ही पूरा करा लिया जाएगा । इकाई का उत्तर स्वीकार्ये नहीं है क्योकि संलग्नक -1 के कार्यों हेतु धनराशि विगत 18 माह से लेकर 140 माह तक की अवधि पूर्व प्राप्त हुई थी ,इतनी लंबी अवधि बीत जाने के वावजूद भी अधिकांश कार्ये अपूर्ण पड़े थे एवं उनको पूर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे साथ ही इन कार्यों मे से काफी कार्ये अनारम्भ स्थिति मे थे । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 769.45 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

## <u>संलग्नक -1</u>

**(धनराशि रु. मे)**

| विभाग का नाम | कार्य का नाम | धनराशिप्राप्त होने का माह | 09/2018 को अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|
| स्वास्थ्य | प०क०उप० कामा | 02/2007 | 656000 |
| | प०क०उप० पैठाना | 02/2007 | 664000 |
| | प०क०उप० मकड़ाउ | 01/2008 | 63679 |
| | प०क०उप० चमरौला | 03/2008 | 116137 |
| | रा०आयु०चिकि० जगेश्वर | 09/2012 | 4508111 |
| | रा०आयु०चिकि०बमन्स्वाय | 09/2012 | 112110 |
| | स्वा०उप० भाटनमलझूला | 03/2013 | 3040116 |
| | रा०आयु०चिकि० स्यूनानी | 03/2013 | 161029 |
| | स्वा०उप० घूरसंगोली | 08/2013 | 2274000 |
| | प०क०उप० तडैनी | 01/2014 | 1132000 |
| | मु० चि० अधि० अल्मोड़ा कार्या० के पीछे सुरक्षा दीवार | 12/2016 | 538168 |
| शिक्षा | क०ब०वि० सुनाड़ी,जैती | 06/2013 | 517241 |
| | डायट अल्मोड़ा में विभिन्न कार्य | 07/2013 | 3432850 |
| | रा०इ०का० गरुडबाज़ 4 कक्ष ,2 प्रयोगशाला व कंप्यूटर कक्ष | 09/2014 | 743456 |
| | रा०इ०का०मेरगांव में 10 कक्ष ,2 प्रयोगशाला ,प्रधानाचार्य कक्ष एवं 2 शौचालय | 09/2014 | 921202 |
| | रा०इ०का० चौड़ा अरली 04 कक्ष ,2 प्रयोगशाला ,प्रधानाचार्य कक्ष शौचालय एवं कम्प्यूटर कक्ष | 09/2014 | 1373283 |
| | रा०इ०का० चौड़ाभनौली 06 कक्ष ,2 प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर कक्ष | 09/2014 | 2727231 |
| | रा०इ०का० चौड़ाभाईलबरौली 08 कक्ष 2प्रयोगशाला,प्रधानाचार्य कक्ष | 09/2014 | 269435 |
| | खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धौला देवी | 03/2015 | 1364088 |
| | रा० उ० मा० वि० काफली में कक्ष | 09/2015 | 305927 |
| | प्रा० पा०नैनी में कक्षा कक्ष | 02/2016 | 328847 |
| पर्यटन | ब्राइट दून कोर्नर अल्मोड़ा व्यू पाइंट | 03/2015 | 231300 |
| | अल्मोड़ा नगर में ब्राइट दून कोर्नर राम कृतन कुटीर | 04/2015 | 303479 |
| | जनपद अल्मोड़ा में विभिन्न पर्यटकस्थलों में मूलभूत सुविधाओं का विकास | 02/2016 | 300000 |
| | जनपद में पर्यटन/स्थानीय संस्कृति एवं म्यूरल्स निवास | 01/2017 | 208101 |
| | माल रोड अल्मोड़ा में हाई टेक शौचालय का निर्माण | 01/2017 | 141162 |
| | सोमेश्वर बाजार में शौचालय | 01/2017 | 400000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| राजस्व | तहसील जैती में आवा०/अना० भवन निर्माण | 04/2006 | 1500000 |
| | तहसील जैती में आवा०/अना० भवन निर्माण | 03/2013 | 2038583 |
| | PTS में पुस्तकालय व कम्प्यूटर लैब | 03/2013 | 660334 |
| | उपतहसील लमवाड़ा में आवा० भवनों का निर्माण | 08/2016 | 2985000 |
| खेल | स्टेडियम अल्मोड़ा में बहु० भवन निर्माण | 03/2014 | 302730 |
| | स्पोर्ट्स स्टेडियम अल्मोड़ा में बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण | 05/2016 | 7148566 |
| पशुपालन | पशु सेवा केंद्र अंडोली | 04/2015 | 370294 |
| | पशु सेवा केंद्र वाडियारबिष्ट | 12/2016 | 1993288 |
| सूचना | प्रेस क्लब अल्मोड़ा में कक्ष निर्माण | 03/2013 | 300000 |
| युवा कल्याण | मिनी स्टेडयम धौलाघाट | 05/2006 | 333521 |
| | खेल मैदान सैनोली | 11/2014 | 100000 |
| | खेल मैदान लाट/नैनोली | 09/2014 | 100000 |
| | खेल मैदान गौलना/चौसली | 09/2014 | 100000 |
| | खेल मैदान ताकुला | 09/2014 | 100000 |
| | खेल मैदान धौलरा | 11/2014 | 100000 |
| | खेल मैदान भानराठ | 11/2014 | 100000 |
| | सोमेश्वर स्टेडियम का सुधारीकरण | 09/2016 | 295061 |
| | खेल मैदान ग्राम फूटायनोटा | 09/2016 | 300000 |
| | खेल मैदान ग्राम पीतना | 09/2016 | 233418 |
| | लमगड़ा स्थित हडौजा मिनी स्टेडियम | 12/2016 | 300000 |
| | डायट अल्मोड़ा के क्रीडा स्थल मिनी स्टेडियम | 12/2016 | 148792 |
| जिलाधिकारी | विभिन्न नेटवर्क सेंटरों का अवशेष धन | 08/2007 | 291611 |
| ग्राम्यविकास | धौलदेवी में आवा० भवन मर० | 01/2007 | 5185000 |
| सांस्कृतिक | अंबेडकर भवन सल्ला | 03/2008 | 197336 |
| | स्व०श्री मर्चराम की स्मृति में कुतौली जैती में स्मारक | 09/2011 | 532349 |
| | आजाद हिन्द फौज श्री किशन सिंह खर्णाद स्मृति में मूर्ति स्थापना भैंगड़ी धनलेल | 09/2015 | 134529 |
| | स्व० श्री हर गोविंद पंत की मूर्ति जिला चि० अल्मोड़ा | 02/2017 | 100000 |
| | प० जवाहरलाल नेहरू जी वाडेहिना में स्थापित खण्डित मूर्ति के स्थान पर मूर्ति | 02/2017 | 700000 |
| | कर्नाटक खेल अल्मोड़ा में बहू उद्देशीय /रामलीला मंच नि० | 03/2017 | 1903006 |
| समाज कल्याण | NTD अल्मोड़ा में मसीही कब्रिस्तान चा० दि० निर्माण | 02/2017 | 3598149 |
| | कर्वला कब्रिस्तान की चा० दि० निर्माण | 02/2017 | 17327000 |
| प्राविधिक शिक्षा | रा० पोलिटेकनिक दन्या में आना०भवन | 10/2013 | 389000 |
| | आई०टी०आई० जैती में भवन निर्माण | 12/2013 | 244651 |
| **कुल धनराशि** | | | **769,45,170** |

**<u>भाग-दो(ब)</u>**

**प्रस्तर-2: सल्ला भाटकोट से सकुना तक (स्वीकृत लागत ₹17.09 लाख) एवं सिरमोली से ग्राम चतुर्भुज तक (स्वीकृत लागत ₹16.78 लाख) ग्रामीण मोटर मार्ग पर ₹2.47 लाख का निरर्थक व्यय एवं अवशेष जमा धनराशि ₹ 7.53 लाख को समर्पित न किये जाने के सम्बन्ध मे।**

कार्यालय के माह 09/2018 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त वर्णित दो कार्य अनारम्भ हैं एवं इन कार्यों पर व्यय शून्य प्रदर्शित है। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उक्त दो कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या: 111/RR&D/xii-2/2016/01(04)/2016 दिनाँक 04 अगस्त 2016 द्वारा प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात, कार्यालय निदेशक ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक: 410/निर्माण-6/2016 दिनाँक 10 अगस्त 2016 द्वारा उक्त दो कार्यों के लिए कुल ₹`10 लाख (प्रत्येक हेतु `₹5 लाख) इस कार्यालय को निर्गत किये गये।

आगे जाँच मे पाया गया कि इन कार्यों से संबन्धित प्रारम्भिक आगणन इकाई द्वारा नहीं बनाये गये थे। जबकि इन दो कार्यों के सर्वे पर कुल `₹247457.00 का भुगतान दिनाँक 07-09-2016 को किया गया था परन्तु सर्वे के बाद धन की कमी के कारण इन कार्यों को लेखापरीक्षा तिथि (10/2018) तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका। जिससे स्पष्ट होता है कि सर्वे पर `₹2.47 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

अतः इन कार्यों पर ₹`2.47 लाख का निरर्थक व्यय एवं अवशेष धनराशि `₹7.53 लाख को अवरुद्ध रखने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग- दो(ब)**

**प्रस्तर-3: Delegation of Power द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (₹`40.00 लाख) का उल्लंघन कर कार्य को विभाजित कर एक ही फर्म (`57.40 लाख) को आवंटित कर अदेय लाभ पहुँचाना।**

शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/15 दिनाँक 17 मार्च 2015 द्वारा काफलिखान-भनौली-दशौला मोटर मार्ग से ग्राम बड़ियार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹`156.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मासिक प्रगति रिपोर्ट माह 09/2018 के अनुसार, उपलब्ध धनराशि `₹88.68 लाख के सापेक्ष ₹`77.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी।

No authority can enter into agreement(s) into which he is not empowered under prescribed "Delegation of Financial Powers" by the State Government and the financial rules infringed under Para-368 and 369 of the FHB (Vol-6).

**The Rule-369 provides that 'No individual contractor may receive second contract in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the total sum of his contracts exceeds the powers of acceptance of the authority concerned'.**

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु गठित 02 अनुबन्धों एवं 07 Work Order मे उपरोक्त वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। Delegation of Power द्वारा निर्धारित सीमा (₹`40.00 लाख) और FHB Vol- VI के प्रस्तर -369 के प्रावधानों के विरूद्ध एक ही ठेकेदार/फर्म (M/s Raj Laxmi Construction) के साथ 09 पृथक-पृथक अनुबंध/Work Order कुल धनराशि ₹`57.40 लाख के अधिशासी अभियंता स्तर पर गठित किये गये। जिसका विवरण निम्नवत है:-

| ***Agreements No./Work Order No.*** | ***Cost of Agreement (Amount in `)*** |
|---|---|
| 193/EE/RWD/2015-16 | 1778049.22 |
| 195/EE/RWD/ 2015-16 | 2026796.20 |
| 03/174/2015-16 | 278400.00 |
| 09/174/2015-16 | 268800.00 |
| 14/174/2015-16 | 276500.00 |
| 17/174/2015-16 | 268800.00 |
| 22/174/2015-16 | 281900.00 |
| 26/174/2015-16 | 280700.00 |
| 30/174/2015-16 | 280000.00 |
| **योग** | **5739945.42** |

इस सम्बन्ध मे यह भी प्रावधान है कि FHB(Vol-6) के प्रस्तर-368 & 369 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के कार्य हेतु विशेष परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार अनुमति दे सकती है। जिस हेतु विभाग ने कोई अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की थी।

इस सम्बन्ध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यदायी संस्था ने उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्य का आवंटन किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोई भी नियम कार्य को टुकड़े-टुकड़े में विभाजित कर एक ही फर्म को आवंटित किये जाने की अनुमति नहीं देता है।

अतः कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के नियम-368 व 369 का उल्लंघन कर एक फर्म को `57.40 लाख का अदेय लाभ पहुंचाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-दो(ब)**

**प्रस्तर-4- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्ये पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 14.92 लाख की वसूली नहीं किया जाना**

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्ये विभाग ,अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे । अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 मे समाहित शर्तों के अनुसार शिडयूल A मे दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्ये सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति मे बिलंब से कार्ये किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी ,जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि,द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 3.5 % राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 4.0% राशि ठेकेदार के बिलो से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्ये चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि मे पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि का 10%) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी । लेखा परीक्षा पाया गया कि-

(1) आटी -डसीली मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम डसीली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.20 किमी थी। कार्ये को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज ,स्कपर तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्ये किए जाने थे। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 4 अनुबंधों का गठन किया गया था। संलग्नक-1 के अनुसार सभी अनुबन्धो के अंतर्गत कार्ये माह 07/2016 एवं 08/2016 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (09/2018) तक उपरोक्त कार्ये निर्धारित अवधि से 02 वर्ष अधिक बीत जाने के वावजूद भी अपूर्ण था  अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्ये पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 7.33 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी। परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही किए बिना तथा ठेकेदार के बिल से कोई धनराशि रोके बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था ।

(2) जैती-पीपली मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम तल्ला भटयूडा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.00 किमी थी। कार्ये को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज, स्कपर तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्ये किए जाने थे। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 4 अनुबंधों का गठन किया गया था। संलग्नक-2 के अनुसार सभी अनुबन्धो के अंतर्गत कार्ये माह 05/2016 से 07/2016 तक की अवधि मे पूर्ण

किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (09/2018) तक उपरोक्त कार्ये निर्धारित अवधि से 02 वर्ष अधिक बीत जाने के वावजूद भी अपूर्ण था अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्ये पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 7.59 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी  परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही किए बिना तथा ठेकेदार के बिल से कोई धनराशि रोके बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था ।

चूंकि उपरोक्त दोनों कार्ये अनुबंधित अवधि से काफी समय बाद (09/2018)तक अपूर्ण थे अतः GPW 9 clause 04 sub section 4.5 के अनुसार समय से कार्ये पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि (रु.14.92 लाख) उसके देयकों से वसूल की जानी चाहिए थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार कि जमानत धनराशि विभाग के पास है साथ ही ठेकेदार के आगामी बिलों से दंडात्मक धनराशि की कटौती की जाएगी। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है अतः कुल 14.92 लाख(7.33+7.59=14.92 लाख) की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

## संलग्नक -1

| अनुबंध संख्या | अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (09/18तक) | अनुबंध की धनराशि | अध्यतन भुगतान की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 204/ईई/17.3.16 | 16.07.16 | अपूर्ण/26 माह | 1706271 | 945639 |
| 205/ईई/17.3.16 | 16.08.16 | अपूर्ण/25 माह | 1408957 | 2930969 |
| 206/ईई/17.3.16 | 16.08.16 | अपूर्ण/25 माह | 2367556 | 1450854 |
| 207/ईई/17.3.16 | 16.08.16 | अपूर्ण/25 माह | 1849738 | 1616373 |
| | | | **73,32,522** | **69,43,835** |
| अनुबंधित धनराशि की 10% राशि | | | **7.33 लाख** | |

## संलग्नक-2

| अनुबंध संख्या | अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (09/18तक) | अनुबंध की धनराशि | अध्यतन भुगतान की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 197/ईई/20.2.16 | 19.05.16 | अपूर्ण/28 माह | 1999938 | 1570895 |
| 189/ईई/19.2.16 | 18.06.16 | अपूर्ण/27 माह | 1990857 | 1772313 |
| 198/ईई/19.2.16 | 19.06.16 | अपूर्ण/27 माह | 1795029 | 1627255 |
| 202/ईई/29.2.16 | 28.07.16 | अपूर्ण/26 माह | 1799330 | 1555122 |
| | | | **75,85,154** | **65,25,585** |
| अनुबंधित धनराशि की 10% राशि | | | **7.59 लाख** | |

## STAN

**प्रस्तर- 1 :- धनराशि रु 6.60 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।**

वित्तीय नियमानुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा की निक्षेप पंजिका भाग ii, iv & v के निरीक्षण में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा संलग्नक के अनुसार, संबंधितों द्वारा तीन वर्षों से अधिक समय से दावा न किए जाने के बावजूद राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई। विवरण:-

| **पंजिका** | **धनराशि के संव्यवहार (Transaction) का माह** | **ठेकेदार का नाम** | **अवशिष्ठ धनराशि (रु) (as on 30.09.2018)** | **मद सं. (Item No.)** |
|---|---|---|---|---|
| भाग ii पंजिका | 10.2013 | श्री हरिशरण शर्मा | 440000 | 04/64 |
| ---तदैव--- | 01.2014 | ---तदैव--- | 155000 | 11/83 |
| भाग iv पंजिका | 10.2009 | मैसर्स परफेक्ट फर्नीचर्स | 40000 | 01/17 |
| ---तदैव--- | 03.2010 | श्री जे. सी. भट्ट | 25000 | 02/23 |
| | | **योग =** | **6,60,000/-** | |

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि *"संबन्धित ठेकेदारों को समय- समय पर सूचना दी जाती है परंतु उनके द्वारा दावा न किए जाने पर धनराशि अदावाकृत रह जाती है, इसको शीघ्र राजस्व खाते में जमा करा दिया जाएगा।"* उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 09.2018 तक उक्त धनराशि रु 6,60,000/- अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 6.60 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर -2- बिना किसी स्वीकृति के रु. 26.33 लाख का व्यायाधिक्य**

सामान्यतः किसी भी निर्माण कार्य को कराये जाने से पूर्व उसका आगणन बनाया जाता है जिसमे कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली मदों एवं उनकी मात्रा को दर्शाया जाता है उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होने के पश्चात ही उच्चाधिकारी द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है । अतः कार्य की मदों एवं मात्रा मे किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है । कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि-

(1) आटी -डसीली मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम डसीली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.20 किमी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज, स्कपर तथा रिटेनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे। उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 211.77 लाख थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता नैनीताल द्वारा रु. 147.76 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत किए गए चार अनुबंधों मे से निम्नवत दो अनुबंधों के अंतर्गत विभिन्न मदों मे अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा मे कार्य कर रु. 11.55 लाख का व्यायाधिक्य किया गया परंतु इस व्यायाधिक्य हेतु सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी ,जो पूर्णतः अनुचित था। विवरण निम्नवत है -

| अनुबंध संख्या | मद का नाम | अनुबंधित मात्रा | निष्पादित मात्रा | अंतर/प्रतिशत | मद का मूल्य | व्यायाधिक्य धनराशि(रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204/ई ई | RR Masonary laid in 1:6 | 100 Cum | 138.16Cum | 38.16/38% | 3020.80 | 115274 |
| 205/ई ई | RR Masonary laid in 1:6 | 100 Cum | 237.23Cum | 137.23/137% | 3020.80 | 414544 |
| | 1 Mt. Span scupper | 11.60 Rm | 21.95 Rm | 10.35/89% | 23956.60 | 247951 |
| 207/ई ई | RR Masonary laid in 1:6 | 101 Cum | 226.01Cum | 125.01/124% | 3020.80 | 377630 |
| **व्यायाधिक्य** | | | | | | **11,55,399** |

(1) इसी प्रकार अल्मोड़ा -पिथौरागढ़ मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम सभा पूनाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.00 किमी थी। कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज, स्कपर तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल

के कार्य किए जाने थे। उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 205.32 लाख थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता नैनीताल द्वारा रु. 139.49 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत किए गए चार अनुबंधों मे से सभी अनुबंधों के अंतर्गत विभिन्न मदों मे अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा मे कार्य कर रु. 14.78 लाख का व्यायाधिक्य किया गया परंतु इस व्यायाधिक्य हेतु सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी ,जो पूर्णतः अनुचित था। विवरण निम्नवत है -

| अनुबंध संख्या | मद का नाम | अनुबंधित मात्रा | निष्पादित मात्रा | अंतर/प्रतिशत | मद का मूल्य | व्यायाधिक्य धनराशि(रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/EE | RCC Grade M20 | 10.58 Cum | 16.28 Cum | 5.7/54% | 6869 | 391533 |
| | RCC 1:2:4 | 6.54 Cum | 9.02 Cum | 2.48/38% | 6295.80 | 15614 |
| | RR Stone Masonry 1:6 | 21.37 Cum | 60.83 Cum | 39.46/185% | 2727.20 | 107615 |
| 199/EE | RR Masonry laid dry | 89.48 Cum | 416.30 Cum | 326.82/365% | 1510.90 | 493792 |
| | 1 Mt span scupper | 24.40 Rm | 38.20 Rm | 13.80/57% | 24458.50 | 337527 |
| 191/EE | RR Masonry laid dry | 172.83Cum | 380.75Cum | 207.92/120% | 1510.90 | 314146 |
| | Kattcha Drain | 400 Rm | 550Rm | 150/37% | 89.90 | 3326 |
| 190/EE | RR Masonry laid dry | 234.50Cum | 344.59Cum | 110.09/47% | 1510.90 | 166335 |
| **व्यायाधिक्य** | | | | | | **14,77,508** |

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि अंतिम देयक के भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी से व्यायाधिक्य स्वीकृत करा लिया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः उच्चाधिकारिओ की उपेक्षा कर बिना किसी पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त दोनों कार्यों मे रु. 26.33 लाख (11.55 लाख +14.78 लाख) का व्यायाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

## भाग-III

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| SS/AIR-35/ 2005-06 | 1 | NIL | NIL |
| SS/ 2006-07 | NIL | 1 | NIL |
| SS/ 2009-10 | NIL | 1 | NIL |
| SS/ 2011-12 | NIL | 1 | NIL |
| SS/ 2016-17 | NIL | 1,2 | NIL |
| SS/ AIR- 183/ 2017-18 | NIL | 1,2,3 | 1,2 |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| SS/AIR-35/ 2005-06 | **भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- 1;<br>**भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- nil;<br>**STAN-** nil | अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/ 2006-07 | **भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- nil;<br>**भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1;<br>**STAN-** nil | अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/ 2009-10 | **भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- nil;<br>**भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1;<br>**STAN-** nil | अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/ 2011-12 | **भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- NIL;<br>**भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1;<br>**STAN-** nil | अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/ 2016-17 | **भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- NIL;<br>**भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1,2;<br>**STAN-** nil | अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/ AIR- 183/ 2017-18 | **भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- NIL;<br>**भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1,2,3;<br>**STAN-** 1,2 | अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.................................. शून्य .....................................

**भाग-V**

**आभार**

**1).** कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

**अप्रस्तुत अभिलेखः** शून्य

**2). सतत् अनियमितताएः** शून्य

**3).** लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

| **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| श्री के. के. पन्त | अधिशासी अभियंता | विगत लेखापरीक्षा से 31.08.2018 तक |
| श्री पी. सी. जोशी | अधिशासी अभियंता | दिनांक 01.09.2018 से अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**